अध्याय - 7

निष्कर्ष एवं सुझाव

7.1 निष्कर्ष:- विकासीय योजनाओं के बनाए जाने एवं उनके लागू होने या उसका लाभ उचित लोगों को मिलने में बहुत अन्तर प्रतीत होता है। शोध में बैगा जनजाति में संचालित सरकारी योजनाओं का अध्ययन करने पर अनेक योजनाओं में से केवल कुछ योजनाएँ ही कारगर प्रतीत हुई।

पंडरिया एवं बोदा47 ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आने वाले तीन गाँवों मोतिनपुर, करमंदा एवं गर्रा में आर्थिक विकास हेतु अनेक योजनाएँ चलाये जा रहें हैं। जिनमें से कुछ प्रमुख योजनाएँ इस प्रकार हैं जैसे - महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, अंत्योदय योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, कृषि भूमि व पट्टा वितरण योजना, मच्छरदानी वितरण योजना, खाद्य व बीज वितरण योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, स्प्रीकंलर सेट वितरण योजना, बैगा आवास योजना, निःशुल्क गणवेश वितरण योजना, डीजल व विद्युत पम्प सेट वितरण योजना, स्व.रोजगार प्रशिक्षण योजना, बाड़ी विकास कार्यक्रम योजना इत्यादि योजनाएँ लागू की गई है। जिससे बैगा जनजाति के साथ-साथ ग्रामवासियों का आर्थिक विकास हो सके। प्रस्तुत शोध में समूह के बैगा परिवारों के सदस्यों से वार्तालाप एवं अवलोकन द्वारा यह पाया कि कौन-कौन से योजनाओं के प्रति कितने प्रतिशत बैगा सूचनादाता व उनके परिवार जागरूक है-

प्रस्तुत शोध में "बैगा जनजाति में संचालित सरकारी योजनाओं का अध्ययन" के लिए छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के बोडला विकास खंड के अंतर्गत चयनित ग्राम मोतिनपुर, करमंदा एवं गर्रा में से सौ सूचनादाताओं (परिवार) से साक्षात्कार, अवलोकन एवं समूह वार्तालाप में पाया गया कि इनकी शैक्षणिक स्थिति 52.86 % हैं, जिनमे प्राथमिक स्तर की शैक्षणिक स्थिति 35.47% हैं तथा इनकी आय का श्रोत कृषि एवं मजदूरी हैं जिनमें 59.07% लोग (सूचनादाता व परिवार) संलग्न हैं। तथा इनके प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 14790 रूपये मात्र प्राप्त हुए।

अध्ययनित बैगा नृजाति समुदाय में 69% सूचनादाता बैगा आवास योजना लाभार्थी के रूप में पाए गए हैं। 67% अध्ययनित समूह कृषि भूमि व पट्टा वितरण लाभ वर्तमान समय में ले रहे हैं जबकि चयनित सभी सूचनादाता व उनके परिवार द्वारा मच्छरदानी वितरण योजना का लाभ तथा जानकारी रखते हुए पाए गए हैं तथा 44% बैगा डीजल पम्पसेट वितरण योजना का लाभ वर्तमान समय में लेते हुए पाए गए। 67% स्प्रिंकलर सेट वितरण योजना, 49% साईकल मरम्मत प्रशिक्षण,

59% खाद्य व बीज वितरण योजना, 91% रोजगार गारंटी योजना, 5% विधवा पेंशन, 9% वृध्दा पेंशन, 75% शौचालय निर्माण योजना, 73.07% नि:शुल्क गणवेश वितरण, 24% पोषण आहार व टीकाकरण, 13% स्वास्थ्य बीमा (मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री) योजना, 6% नि:शुल्क सरस्वती साईकल वितरण योजना, 19% मातृ सुरक्षा के बारे में जानकारी रखते है 65 प्रतिशत इस योजना से संतुष्ट है तथा महिलायों की स्थिति को बेहतर प्राप्त हुए उसी प्रकार 3% संस्थागत प्रसव कार्यक्रम में भी देखने को मिले. चरण पादुका व अन्त्योदय राशन योजना, पल्स पोलियो का चयनित सभी नृजातीय समूह (सूचनादाता व परिवार) लगभग पूर्ण रूप से वर्तमान समय में लाभ ले रहें हैं जबकि विकासीय योजनाओं के सन्दर्भ में चयनित कुल सूचानादाताओं में 27% राजमिस्त्री प्रशिक्षण योजना के सन्दर्भ में जानकारी रखते हुए पाए गए वही 17% नि:शुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना, 7% ए.एन.एम. प्रशिक्षण, 19% बॉस शिल्प प्रशिक्षण, 37% ईट व खपरा निर्माण प्रशिक्षण, 32% बाड़ी विकास कार्यक्रम योजना, 36% चारा अंजोरा कार्यक्रम योजना, 6% नि:शुल्क पी.ई.टी./पी.एम.टी. कोचिंग योजना, 13% राज्य छात्रवृति प्री मैट्रिक व पोस्ट. मैट्रिकोत्तर, 29% पोषण आहार व टीकाकरण, 19% ट्यूबेल खनन योजना, 37% कृषि व व्यापार हेतु शून्य ब्याज पर लोन योजना, 69% स्वरोजगार नि:शुल्क प्रशिक्षण योजना, 36% बैकयार्ड पोल्ट्री फॉर्म निर्माण योजना की जानकारी चयनित बैगा समूह रखते हुए वर्तमान समय में पाए गए।

इस प्रकार ज्ञात तथ्यों के आधार पर यही कहा जा सकता है कि बैगा परिवार सबसे अधिक टीकाकरण, अंत्योदय योजना एवं पल्स पोलियो अभियान के प्रति जागरूक हैं। उससे कुछ कम परिवार पोषण आहार योजना, संस्थागत प्रसव कार्यक्रम दोनो ही योजनाओं के प्रति एवं मनरेगा तथा उन्नत बीज योजना के प्रति भी अधिकतर परिवार जागरूक है। इन योजनाओं में से सबसे कम परिवार कृषि यांत्रिकीकरण योजना के प्रति जागरूक है।

इन योजनाओं में से अधिकतम योजनाओं की जानकारी ग्राम में निवासरत बैगा परिवारों को है ही नही एवं जिन्हें इन योजनाओं की जानकारी है वे इन योजनाओं से संतुष्ट प्रतीत नही हुए। प्रस्तुत शोध में इन योजनाओं के प्रति लोगों की असंतुष्टता के कारणों को जानने का प्रयास किया तो यह ज्ञात हुआ कि जो योजनाएँ इन जनजातियों के आर्थिक विकास के उद्देश्य से बनाई गई है उन योजनाओं का निश्चित लाभ इन जनजातियों को नही मिल रहा है। विभिन्न योजनाओं हेतु जो राशियाँ ग्राम विकास हेतु आती है उनका उपयोग निश्चित कार्य में नही किया जा रहा है। अध्यनित ग्रामों के अवलोकन द्वारा विकासीय योजनाओं की स्थिति को जब जानने का प्रयत्न किया तो मुझे उनमें अनेक कमियाँ दिखाई दी जैसे-ग्राम में सड़क निर्माण संबंधी किन्तु गाँव में सड़कें अभी भी कुछ गाँवों में आवागमन के लिए

कच्ची सड़कें है इससे ग्रामवासियों को सबसे अधिक असुविधा बारिश के दिनों में होती है। इसी प्रकार आवासीय योजना हेतु आवेदन करने के पश्चात् बैगा आवास योजना का लाभ सभी बैगा परिवारों को उसका लाभ सही समय पर नही मिल प रहा है। इन गाँवों में दूसरी सबसे बड़ी समस्या शौचालय है इन गाँवों लगभग सभी घरों पर शौचालय की सुविधा है लेकिन इसका उपयोग नही करते ये खुले जंगलों में जाते है। ग्रामवासियों से यह ज्ञात हुआ कि 5-10 वर्ष पूर्व से ही गाँव में निर्मल ग्राम योजना के तहत् शौचालय निर्माण किया जा रहा है किन्तु अभी भी कुछ घरों में शौचालय नही बन पाये है।

बैगा जनजातियो के सामाजिक विकास हेतु भी अनेक योजनाएँ जैसे- स्वास्थ्य विकास, शैक्षणिक विकास, महिला एवं बाल विकास संबंधी अनेक योजनाएँ लागू की गई है जिससे इन जनजातियों का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास हो सके। इन योजनाओं में से महिला एवं बाल विकास योजनाएँ पूरी तरह सफल सिद्ध हुई है।

7.2 सुझाव:- जिन जनजातियों के विकास हेतु विकासीय योजनाओं का निर्माण किया जाता है उन्हें उन योजनाओं की जानकारी ही नही होती एवं विकासीय योजनाओं के कार्यकर्ताओं द्वारा अपने कर्तव्य का सही ढ़ंग से पालन नहीं करने के कारण वे इन योजनाओं का लाभ नही ले पाते। इसी कमी को दूर करने हेतु निम्न कार्य करने की आवश्यकता है -

(1) किसी भी योजना को लागू करने से पूर्व उस स्थान विशेष की भौगोलिक स्थिति एवं वहाँ निवास करने वाली जनजातियों की जीवन शैली को समझने की आवश्यकता है ताकि उसके अनुसार ही योजनाएँ बनाई जा सके और योजनाएँ विफल न हो।

(2) जनजातियों को योजनाओं से जोड़ने हेतु जन-जागरूकता संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए।

(3) प्रत्येक तीन माह में नियमित रूप से ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए।

(4) पल्स पोलोयों योजना की तर्ज में बैगा विकास संबंधी निर्मित सभी योजनाओं की जानकारी 'डोर टू डोर' दिया जाना चाहिए जिससे बैगा अपने जीवन स्तर में सुधार ला सके।

(5) ग्रामवासी एवं सरकारी कर्मचारियों के बीच दूरी को कम करने की आवश्यकता है। कार्यकर्ताओं को अपने कर्तव्य के प्रति वफादार होने की आवश्यकता है एवं ग्रामवासियों को अपने अधिकारों की सुरक्षा हेतु भ्रष्ट कार्यकर्ताओं के विरूद्ध ठोस कदम उठाने होंगे।

7.3 समस्याएँ:- जनजातीय विकासीय योजनाओं के सफल होने में अनेक समस्याएँ आती हैं जो निम्नानुसार हैं -

(1) क्षेत्रानुसार योजनाओं का निर्माण न होना - किसी भी स्थान विशेष की भौगोलिक दशा एवं उस स्थान विशेष में निवास करने वाले जनसमूहों की जीवन शैली में बहुत अन्तर होता है किन्तु ज्यादातर योजनाएँ इस बात को नज़रअंदाज करते हुए लागू कर दी जाती हैं जो इन योजनाओं के असफल होने में सबसे अधिक जिम्मेदार होता है।

(2) सरकारी कर्मचारियों एवं ग्रामवासियों के बीच की बढ़ती दूरी -चूँकि विकासीय योजनाएँ जनकल्याण हेतु बनाई जाती हैं अतः सरकारी कर्मचारियों को योजनाओं के निर्माण से पूर्व ग्रामवासियों की आवश्यकताओं की जानकारी लेनी चाहिए किन्तु ये सरकारी कर्मचारी ग्राम में ग्रामवासियों के बीच कभी शामिल ही नहीं होते।

(3) नाममात्र का सोशल ऑडिट - ग्राम पंचायत की यह जिम्मेदारी होती है कि वे अपने ग्राम में प्रत्येक तीन माह में ग्राम सभा की बैठक करे जिससे उन्हें ग्रामवासियों की आवश्यकताओं की जानकारी हो एवं उनकी राय भी जान सकें।

(4) जागरूकता की कमी/अनदेखा करना - सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में जनजातियों में जागरूकता की कमी पाई गई या यह कहना उचित होगा कि उनमें उनके विकास हेतु बनाई गई विकासीय योजनाओं के प्रति जिज्ञासा की कमी पायी गयी जिसके कारण या तो उनका शोषण हो रहा है या उन्हें पर्याप्त लाभ नहीं मिल रहा है जिसके वे हकदार है।

(5) नेतृत्वकर्ता स्वभाव की कमी - ग्रामवासियों में नेतृत्व करने की शक्ति/क्षमता का अभाव पाया गया। ग्रामवासियों के अनुसार अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना उनकी जिम्मेदारी नहीं है वे किसी अन्य योग्य व्यक्ति के इंतजार में शांत रहकर अपने अधिकारों का हनन होने देते है।

(6) स्वार्थ एवं लोभ के परिणाम स्वरूप - जिन कार्यकर्ताओं को इन विकासीय योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी प्राप्त होती है वे अपने स्वार्थ एवं लोभ के कारण विकासीय योजनाओं हेतु शासन द्वारा प्राप्त राशियों का प्रयोग जनकल्याण हेतु न करके अपनी स्वार्थ पूर्ति में करते है।

(7) कार्यकर्ताओं में कार्य के प्रति समर्पित भाव की कमी।